तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
22-12-2020	ईकजाई पेशी की जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 ता 7 की तामिल सम्यक रूप से होकर पेशशुदा है। बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी सं. 1 ता 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 16-3-2021 को पेश हो। पूर्व स्थगन आदेश यथावत रहेगा।
16-3-2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी। दरबस्त बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए अप्रार्थीगण को तादौराने फैसल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थीगण पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण विवादित आराजी ख० नं. के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी ख० नं. के रिकार्डेड काश्तकार खातेदार नहीं है। अप्रार्थीगण की तामिल सम्यक रूप से होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण नियत तारीख पेशी पर हाजिर अदालत नहीं आये जिससे उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी थी इससे अप्रार्थीगण की प्रार्थीगण के प्रा० पत्र T.I. के प्रति मौन स्वीकृति प्रदर्शित होती है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

(सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर) — सत्यमेव जयते)

Scanned by TapScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तादौराने फैसल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख० नं० 982 तन ग्राम ठीकरिया प० ह० ठीकरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करें, प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें, निर्माण नहीं करें, निर्माण सामग्री ईंट, पत्थर आदि नहीं डाले, पेड़ नहीं काटे, भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करें, खुर्द-बुर्द नहीं करें, प्रार्थीगण की फसल बुवाई-कटाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही कोई ऐसा कृत्य करें जिससे प्रार्थीगण को भूमि के उपयोग-उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न हो एवं मौके की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 16/3/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर)
सत्यमेव जयते

Scanned by TapScanner